

दिनांक
कार्यवाही
11/3/19

घर के जर्जन का राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जयवारागढ ने जयवारागढ द्वारा 136 परीच के तहत पैत्रि विभाग प्राथमिक पर रजिस्ट्रेशन हो। तलवी अधीन गणों की प्राप्ति होकर दिनांक 11/4/19 को पैत्रि हो।

सपखण्ड अधिकारी
जयवारागढ (जयपुर)

11/4/19 पत्रावली पेश हुई। पैत्रिका साक्षात् (उप)

पत्रावली पूर्वानुसार वास्तो तलवी / पैत्रिका
दिनांक 11/4/19 को पेश हो।

सपखण्ड अधिकारी
जयवारागढ (जयपुर)

11/4/19

पत्रावली पेश हुई। पैत्रिका साक्षात् उपरिपत्र पैत्रिका साक्षात् ने पत्रावली हलका की फर्स अंतर्गत रिपोर्ट पेश की है शामिल रहे। पैत्रिकार साक्षात् के प्राप्ति प्राथमिक पर (वाड पर) में किमान किमान कि परतणन में तहसील जयवारागढ में सेंग्रीवेखन का कार्य चल रहा है सेंग्रीवेखन के क्षेत्रगत गठन सामवेड कर्ता तहसील जयवारागढ (पपड) की कर्तव्यता जयवारागढ सार 352, 357 के क्षेत्रों की प्राप्ति की गई है प्राप्ति कि रेखाता स 35 के तहत 351, 352, 357, में आनेवाले क्षेत्रों

फर्द अहकाम

सरकार बनाम कर्मचारी वगैरे

नाम न्यायालय

केस संख्या 28/2015

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		<p>दर्ज नहीं है. उक्त हिस्से 2011 का के के आदेश दिए जाने के बाद किया है</p> <p>पत्रावली का कानूनी विचार पत्रावली हस्ताक्षर की फर्द में रिपोर्ट पर गौर किया जाना करने के उपरान्त, राज्य सरकार की योजना DILRMP व. आ. Act की धारा 18 के तहत पत्रावली हस्ताक्षर की फर्द में रिपोर्ट के अनुसार हिस्से ड्रॉइंग करने के आदेश तहसीलदार जयपुरावाच के दिए जाते हैं तदनुसार सामान्य रिकॉर्ड में कैल करे</p> <p>नियंत्रण व फर्द में रिपोर्ट की प्रति तहसीलदार जयपुरावाच के पास रखे हुए दिखाए जाये</p> <p>पत्रावली कोशल सुभाष देवाए गारु के पास हो बाद में तहसील सुभाष देवाए नियंत्रण सुभाष देवाए</p>	

सप्लाइड अधिकारी
जयपुरावाच

